GCMS – 2020/00285

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला चूरू

जयद्रुप बनाम सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमां 74 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
25/2/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी जयद्रुप पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी न्यागलबड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमिं खाता सं.93 ख0नं0 567/391 ताडारी 9.5733 है० रोही ग्राम न्यागलबड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का गलत नाम जोहन : भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम जयद्रुप दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 93 ख0नं0 567/391 ताडारी 9.5733 है० रोही ग्राम न्यागलबड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम जोहन के स्थान पर सही नाम जयद्रुप शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।	